न्यायालय माध्यस्थम अधिकारी (जिला कलक्टर), चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी शिवांगी स्वर्णकार, आई. ए. एस.

प्रकरण संख्या 13/2016 (रा.अ.)
पंजीयन दिनांक 20.04.2016

श्री सत्यनारायण पिता शंकर पर्वत जाति गोस्वामी, निवासी सैंती, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

–प्रार्थी

बनाम

1–सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)
2–सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय जरिये परियोजना निदेशक एवं अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय उच्च मार्ग खण्ड बांसवाडा, मुख्यालय निम्बाहेड़ा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

–विपक्षीगण

आवेदन अन्तर्गत 3 जी (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 बाबत मध्यस्थता हेतु।

उपस्थितिः– 1–श्री राकेश पुरी गोस्वामी, अधिवक्ता प्रार्थी
2–श्री मुकुट बिहारी दाधीच, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

निर्णय

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक 27.08.2019

प्रस्तुत प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चित्तौड़–निम्बाहेड़ा राजमार्ग के चारलेन निर्माण हेतु प्रार्थी के खातेदारी, स्वामित्व–आधिपत्य व उपयोग–उपभोग की ग्राम सैंती की कृषि आराजी नम्बर 1181 रकबा 0.90 हैक्टेयर में से 0.17 हैक्टेयर भूमि को अवाप्त करते हुए मुआवजा का एवार्ड आदेश दिनांक 27.03.2015 को पारित किया जिससे असन्तुष्ट होकर प्रार्थी ने पारित एवार्ड आदेश के विरूद्ध यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ से संबंधित पत्रावली तलब की गयी। विपक्षी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री मुकुट बिहारी दाधीच ने अधिकार–पत्र एवं जवाब प्रस्तुत किया। सक्षम प्राधिकारी से पत्रावली प्राप्त होने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

प्रकरण संख्या 13/2016 (रा.अ.)
श्री सत्यनारायण गोस्वामी निवासी चित्तौड़गढ़ बनाम सड़क परिवहन और राजमार्ग जरिये परियोजना निदेशक एवं अधिशाषी अभियंता लो. नि. वि. वगैरा

अधिवक्ता प्रार्थी ने लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी की कृषि भूमि आराजी नम्बर 1181 रकबा 0.90 है. में से 0.17 है. किस्म नहरी भूमि भारत सरकार द्वारा चित्तौड़गढ़-निम्बाहेड़ा चारलेन को चौडा किये जाने हेतु अवाप्त कर दिनांक 04.03.2014 को भारत सरकार के राजपत्र में एवं दिनांक 26.03.2014 एवं 27.03.2014 को दैनिक अखबारों में अधिसूचना प्रकाशित की गई। प्रार्थी ने अपनी कृषि भूमि की मुआवजा राशि डी. एल. सी. की तीन गुना दर एवं सोलेशियम राशि व ब्याज राशि दिलाने हेतु अपनी आपत्तियां प्रस्तुत की। भूमि अवाप्ति अधिकारी ने दिनांक 27.03.2015 को आदेश पारित कर अधिग्रहित कृषि भूमि रकबा 0.17 है. की मुआवजा राशि 88,812/- रूपये प्रति एयर से मुआवजा दिलाने का आदेश पारित किया जो विधि विपरीत होने से अपास्त योग्य है। प्रार्थी की अधिग्रहित भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है एवं सरकार के आदेश 2011 के अनुसार डी. एल. सी. की तीन गुना राशि का प्रावधान किया गया है उसके उपरांत भी सक्षम प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ ने मात्र 88,812/- रूपये प्रति एयर की दर से अधिग्रहित भूमि की मुआवजा राशि का अवार्ड पारित करने की भूल की है। प्रार्थी की कृषि भूमि की डी. एल. सी. दर 88,812/- रूपये प्रति एयर है जिसकी तीन गुना राशि 2,66,436/- रूपये प्रति एयर होती है अतः कृषि भूमि 0.17 है. का तीन गुना की दर से मुआवजा राशि 45,29,412/- रूपये होती है तथा नवीनतम वर्ष 2013 के भूमि अवाप्ति अधिनियम के अनुसार सोलेशियम राशि 45,29,412/- रूपये इस प्रकार कुल 90,58,824/- रूपये मुआवजा बनता है। अतः आवेदन स्वीकार फरमाकर मुआवजा राशि में तीन गुना एवं सोलेशियम राशि 90,58,424/- रूपये जोडकर संशोधित अवार्ड पारित करने का आदेश प्रदान करावें।

विपक्षी के अधिवक्ता का मुख्य कथन यह रहा कि प्रार्थी की अवाप्त शुदा भूमि का नियमानुसार उप पंजीयक चित्तौड़गढ़ द्वारा प्राप्त पत्र दिनांक 04.12.2013 के अनुसार डी. एल. सी. दर से तीन गुना 88812/- रूपये प्रति एयर के हिसाब से तथा 10 प्रतिशत 3 (जी) (2) के तहत अतिरिक्त राशि जोडते हुए 16,60,784/- रूपये का प्रार्थी का मुआवजा भुगतान किया है जो विधि-सम्मत् है। प्रार्थी की अवाप्त शुदा भूमि 100 मीटर के दायरे में आने से राष्ट्रीय राजमार्ग से लगती हुई भूमि की दर से ही नियमुनसार मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है जिससे चाहा गया अनुतोष स्वीकार नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या 13/2016 (रा.अ.)
श्री सत्यनारायण गोस्वामी निवासी चित्तौड़गढ़ बनाम सड़क परिवहन और राजमार्ग जरिये परियोजना निदेशक एवं अधिशाषी अभियंता लो. नि. वि. वगैरा

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ कार्यालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। प्रार्थी ने उक्त प्रकरण में डी. एल. सी. दर से 3 गुना करके मुआवजा दिलाने की मांग की है वहां स्पष्ट करना चाहेंगे कि राज्य सरकार के पत्रांक प.2(99)वित्त/कर/2010 दिनांक 24.01.2011 के आधार पर जिन ग्रामों में एन. एच. से लगी हुई भूमियों की दरें निर्धारित नहीं है उन ग्रामों में नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, एवं मेघा हाईवे से लगते हुए खसरा नम्बरों की भूमि जो हाईवे से 100 मीटर गहराई तक सामान्य कृषि भूमि की दर (डी. एल. सी.) का तीन गुना तथा 100 से 200 मीटर गहराई तक 2 गुना दर से मालियत का प्रावधान किया गया है जबकि उक्त प्रकरण में प्रार्थी की कृषि भूमि जो कि सैंती में स्थित है तथा चित्तौड़गढ़ से निम्बाहेड़ा राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर दोनों तरफ लगती हुई ग्राम ओछडी की सीमा तक की, कृषि भूमियों की दरें निर्धारित की हुई है जो कि 88812/- रूपये प्रति एयर है जो कि एन. एच. से लगी हुई भूमि की दरें है तथा उप पंजीयक चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रस्तुत की गई है जो कि अधीनस्थ कार्यालय की पत्रावली में उपलब्ध है तथा हस्तगत प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रार्थी को उसकी कृषि भूमि का एन. एच. से लगती हुई कृषि भूमि की निर्धारित दर 88812/- रूपये प्रति एयर से ही अधिनियम की धारा 3 जी (2) के तहत कुल मुआवजे पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त देय राशि जोडते हुए मुआवजा निर्धारण किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित एवार्ड आदेश दिनांक 27.03.2015 विधि-सम्मत् होकर एवार्ड आदेश में किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं होने से प्रार्थी का आवेदन खारीज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवांगी स्वर्णकार)
जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official